NEERAJ®

Serving Education for Last 40 Years

M.S.W.E.-002

महिला और बाल विकास

(Women and Child Developemnt)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Harmeeet Kaur*

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 300/-

Content

महिला और बाल विकास
(Women and Child Development)

Question Paper—June-2023 (Solved) 1-2

Question Paper—December-2022 (Solved) 1-2

Question Paper—Exam Held in July-2022 (Solved) 1-2

Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) 1-2

Question Paper— Exam Held in September-2020 (Solved) 1-2

Question Paper—December-2019 (Solved) 1-2

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

भारत में महिलाओं की प्रस्थिति
(Status of Women in India)

1. सदियों से महिलाएँ 1
   (Women Down the Ages)

2. भारत में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन 11
   (Situational Analysis of Women in India)

3. महिलाएँ–एक असुरक्षित समूह 22
   (Women – A Vulnerable Group)

4. असंगठित क्षेत्र में महिलाएँ 33
   (Women in the Unorganized Sector)

महिलाएँ और विकास पहलें
(Women and Development Initiatives)

5. महिलाओं के विकास के लिए वैश्विक पहलें और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा उपाय 42
   (Global Initiatives and UN Safeguards for Women's Development)

6. भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम 53
   (Policies and Programmes for Women's Empowerment in India)

7. लिंग और विकास 66
(Gender and Development)

भारत में बच्चों की स्थिति
(Status of Children in India)

8. भारत में बच्चों का पार्श्व चित्र 75
(Profile of Children in India)

9. लड़कियाँ : एक असुरक्षित समूह 84
(Girl Children: A Vulnerable Group)

10. संकटपूर्ण परिस्थितियों में बच्चे 95
(Children in Critical Circumstances)

11. किशोरों की स्थिति 109
(Situation of Adolescents)

बच्चों की देखभाल और सुरक्षा
(Care and Safeguards of Children)

12. बच्चों के लिए वैश्विक पहलें और संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा उपाय 125
(Global Initiatives and UN Safeguards for Children)

13. भारत में बच्चों के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम 136
(Policies and Programmes for Children in India)

14. सकारात्मक पालन-पोषण 146
(Positive Parenting)

15. बाल देखभाल व्यवस्था में सामाजिक कार्यकर्त्ता की भूमिका 159
(Role of Social Worker in Child Care Settings)

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

Exam Held In

June – 2023

(Solved)

महिला और बाल विकास
(Women and Child Development)

M.S.W.E.-002

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

प्रश्न 1. महिलाओं के विकास के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और विधायी उपायों पर संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-53, 'परिचय', पृष्ठ-57, प्रश्न 1

अथवा

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों से आप क्या समझते हैं? इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अब तक हुई प्रगति पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-47, प्रश्न 4

प्रश्न 2. भारत में बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-13, पृष्ठ-142, प्रश्न 4

अथवा

प्रभावी पालन-पोषण में शामिल विभिन्न रणनीतियों को चित्रित कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-154, प्रश्न 6

प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(क) असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की प्रस्थिति पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-34, 'असंगठित क्षेत्र में महिलाएँ'

(ख) CEDAW के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-46, प्रश्न 2

(ग) सड़क पर रहने वाले बच्चे कौन हैं? सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए कौन-से कारक जिम्मेदार हैं?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-10, पृष्ठ-95, 'गली के बच्चे'

(घ) किशोरों के लिए समाजीकरण महत्त्वपूर्ण क्यों हैं?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-11, पृष्ठ-117, प्रश्न 6

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

(क) महिलाओं के संदर्भ में 'प्रस्थिति' और 'भूमिका' पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-14, प्रश्न 1

(ख) जेंडर बजटिंग के उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-7, पृष्ठ-71, प्रश्न 1

(ग) किशोर सहकर्मियों का दबाव क्यों लेते हैं?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-11, पृष्ठ-117, प्रश्न 5

(घ) 'परिवार जीवन चक्र' की अवधारणा और जीवन की प्रत्येक अवस्था की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-151, प्रश्न 3

(ङ) कचना बीनने वालों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-10, पृष्ठ-102, प्रश्न 3

(च) जेंडर और विकास के संबंध को बताइए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-7, पृष्ठ-68, प्रश्न 3

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से किन्हीं पांच पर लघु नोट लिखिए–

(क) वैश्वीकरण

उत्तर–वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है, जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के सन्दर्भ में किया जाता है अर्थात् व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूँजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अन्तरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण।

वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होती है, आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी और वैज्ञानिक विकास होता है। इसके साथ ही लोगों के बीच विचारों, विचारधाराओं, भूमिकाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं का अद्यतित आदान-प्रदान होता है।

वैश्वीकरण का प्रारंभिक अवधारणा 20वीं सदी के पश्चिमी देशों में उद्भव हुई, जहां विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व संस्थाएं अपने

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

गतिविधियों को ग्लोबल स्तर पर बढ़ाने के लिए प्रयास करने लगीं। इसके बाद से, ट्रेड लिबरलीकरण, प्रौद्योगिकी की प्रगति और संचार के विकास ने वैश्वीकरण को और गतिशील बनाया है।

वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्वव्यापी व्यापार, विदेशी निवेश, ग्लोबल उत्पादन नेटवर्क, संचार के बढ़ते साधन, और आर्थिक एवं सांस्कृतिक विनियमन के क्षेत्र में मजबूती हुई है। हालांकि, इसके साथ ही कुछ विवाद और चुनौतियाँ भी उठी हैं, जैसे कि आर्थिक असमानता, वैश्वीकरण के प्रभाव में नुकसान करने वाली उत्पादन के स्थानों का अनुसरण और सांस्कृतिक मान्यताओं की संरक्षण के मुद्दे।

(ख) महिला सशक्तिकरण

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-6, पृष्ठ-53, 'सशक्तिकरण का अर्थ'

(ग) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

उत्तर–प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) कार्यक्रम मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने तथा कुल प्रजनन दरों हेतु आर.सी.एच. लक्ष्यों को प्रदान करने के लिए भारत सरकार (जी.ओ.आई) के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत व्यापक क्षेत्रवार प्रमुख कार्यक्रम है। आर.सी.एच. कार्यक्रम का लक्ष्य गुणवत्तायुक्त प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं प्रौढ़ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच एवं उपयोग में होने वाली सामाजिक एवं भौगोलिक असमानताओं को कम करना है। राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में अप्रैल, 2005 में आरंभ आर.सी.एच. भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2001 तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य (ए.एच.) तथा पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी.) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के छह प्रमुख घटक हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यापक रूप से उन पहलों को एकीकृत करता है, जो कि बाल उत्तरजीविता में सुधार तथा नवजात एवं पाँच वर्ष की आयु तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में योगदान देते हैं। चूंकि नवजात शिशु की मौतें बाल मौतों में सबसे बड़ी अंशदाता होती है जो कि लगभग पांच वर्ष तक की आयु की मौतों का 57 प्रतिशत है, इसलिए बाल उत्तरजीविता नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यह अब सर्वमान्य है कि बाल उत्तरजीविता में अलग से सुधार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह मातृ स्वास्थ्य से गहन रूप से संबंद्ध होता है, जो कि आगे उसके स्वास्थ्य एवं किशोर के रूप में विकास द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(घ) आत्म-सम्मान और किशोर

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-11, पृष्ठ-111, 'आत्म-सम्मान और किशोर'

(ङ) माता-पिता की भागीदारी प्रशिक्षण

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-148, 'माता-पिता भागीदारी (इन्वोलवमेंट) प्रशिक्षण (पी.आई.टी.)'

(च) दिव्यांग बच्चे

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-15, पृष्ठ-161, 'अपंगता वाले बच्चे'

(छ) परिवार के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-151, प्रश्न 2

(ज) किशोर गृह

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-15, पृष्ठ-161, 'किशोर गृह'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

महिला और बाल विकास
(Women and Child Development)

भारत में महिलाओं की प्रस्थिति
(Status of Women in India)

सदियों से महिलाएँ
(Women Down the Ages)

1

परिचय

सदियों से अधिकारों के इतिहास में परिवार, कुटुम्ब और समाज के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। महिलाएँ, उत्तरजीविता और प्रगति के संघर्ष क्षेत्र में पुरुष की भागीदार रही हैं। भारतीय समाज से महिलाओं की प्रस्थितियों को दर्शाना कठिन कार्य है क्योंकि प्राचीन काल से महिलाओं से संबंधित स्रोतों का अभाव रहा है। 1986 में एम.एन. श्रीनिवास द्वारा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के अध्ययन के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है। इनमें भिन्नताएँ एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, जो कि व्यापक रूप से धर्मों, मानव जातीय, प्रदेशों, ग्रामीण, शहरी, वर्गों और जातीय समूहों में मौजूद हैं। रोमिला थापर और आंद्रे बीटल ने भी एम.एन. श्रीनिवास के दृष्टिकोण के प्रति सहमति दर्शायी है। आंद्रे बीटल के अनुसार, भारतीय समाज का कई ढाँचागत विभाजन देखा गया है, इसलिए प्रत्येक ढाँचे के आधार पर महिलाओं की स्थिति की जाँच करनी चाहिए। रोमिला थापर ने इस संबंध में पक्के स्रोतों का अभाव बताया है। जबकि आंद्रे द्वारा कुछ महत्त्वपूर्ण आधारों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे कि परंपरावादियों द्वारा पारंपरिक भारत में महिलाओं की आदर्श तस्वीर प्रस्तुत की गई है और आधुनिकतावादी आजादी के बाद महिलाओं के सिद्धांतों द्वारा अधिकार की बात करते हैं। समाज में महिलाओं की प्रस्थिति को व्यक्त किया गया है।

अध्याय का विहंगावलोकन

इतिहास में महिलाएँ–एक परिदृश्य

मानवीय सभ्यता के ऐतिहासिक भागों में महिलाओं की प्रस्थिति अधीनस्थ है। हालांकि कुछ समाज मातृवंशीय समाज भी रहे हैं। फ्रेडरिक ऐंजिल्स के अनुसार महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति हेतु निजी संपत्ति का संस्थापन उत्तरदायी है। वह आर्थिक और राजनीतिक दशाओं की भूमिका को विशेष मानते हैं क्योंकि कृषि के उद्‌गम से पुरुषों को संपत्ति का बोध हुआ और महिलाओं की अधीनस्थ की स्थिति बनी। इसके साथ ही पितृसत्ता और पतित्ववाद अस्तित्व में आया। उत्तराधिकारियों की वैद्यता के लिए महिलाओं के यौनाचार को नियंत्रित किया गया। इस प्रकार महिलाओं की अधीनस्थता की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐंजिल्स के अनुसार, अगर निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर दिया जाए, तो महिला की मौलिक स्थिति बहाल हो सकती है।

1990 में वाल्बी ने पितृसत्तात्मकता के सिद्धांत को कुछ दायरे में भारतीय समाज में लागू करने की बात की है। उन्होंने पैतृक सत्ता को छः ढाँचों में बांटा है, जैसे कि उत्पादन का पितृप्रधान तरीका, भुगतान कार्यों हेतु पैतृक संबंध, राज्य में पितृसत्तात्मक संबंध, यौन संबंधों में सत्तात्मक संबंध और सांस्कृतिक संस्थाओं में पितृसत्तात्मक संबंध। उनके अनुसार "सामाजिक ढाँचों की पद्धति और प्रथाएँ जिनमें पुरुष की प्रधानता होती है, महिलाओं को दबाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है।" वाल्बी के अनुसार, 19वीं से 20वीं शताब्दी तक ब्रिटेन में निजी सत्ता सार्वजनिक पितृसत्ता में बदल गई है, जबकि भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों नियंत्रण करते हैं।

प्राचीन 'भारत में महिलाएँ

थापर के अनुसार, महिलाओं की अधीनस्थ प्रस्थिति सर्वव्यापक तथ्य नहीं था क्योंकि प्रथम युग यानी क्रेता युग में भी महिलाओं को स्वतंत्रता थी। उस समाज में खाद्य-पदार्थ एकत्रित करने वाली आदम जातियों में महिलाओं को सम्मानित स्थान दिया जाता था

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

और उन्हें जनक माना जाता था। महिलाओं की यह प्रस्थिति राज्य की उत्पत्ति से परिवर्तित हुई। किसान समाजों में झगड़े होने लगे। संपत्ति और महिलाएँ चिंता का विषय बनने लगीं, इसलिए संपत्ति और विवाह को सुरक्षित रखने के लिए कानून और व्यवस्था का सहारा लिया गया। इस प्रसार राज्य विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की स्थिति गिरने लगी। आलटेकरियन के उदाहरण का इस्तेमाल करते हुए, मुखर्जी का मानना है कि पुरातन वैदिक युग में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, धार्मिक कार्यों और पारिवारिक जीवन में अधिकार थे। महिला विद्वानों द्वारा मंत्रों की रचना गई। उनके द्वारा संगीत विद्या, ललित कला, उत्पादन श्रमों और कृषि में भागीदारी दिखाई गई। महिलाएँ धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदानों में भी भागीदारी दिखाती थीं। विवाहित महिलाओं को संपत्ति के अधिकार थे, उन्हें विधवा विवाह की अनुमति भी प्राप्त थी। पैतृक समाज में पुत्री की अपेक्षा पुत्र के जन्म का मूल्य अधिक था।

लगभग 1000 ईसवी तक आर्यों द्वारा उत्तरी भारत में राजनीतिक तौर पर विस्तार किया गया। यहीं से महिलाओं की अधीनस्थ प्रस्थिति शुरू हुई। वैदिक अध्ययनों की प्रथा भी परिवर्तित हुई। वेदों की रचनाएँ ईश्वरीय ज्ञान का रूप थीं। इनमें ज्ञान हेतु बारह वर्ष तक अध्ययन किया जाता था क्योंकि महिलाओं का विवाह 17-18 साल की आयु में किया जाता था क्योंकि महिलाओं की शिक्षा बाध्य हुई। इस प्रकार महिलाओं और पुरुषों में असमानता शुरू हुई।

कुछ समय तक लड़कियों के विवाह की आयु को कम किया गया और वैदिक शिक्षा का अध्ययन सोलह वर्ष तक किया गया। महिलाओं का वैदिक ज्ञान 500 ए.डी. तक सीमित हो गया। महिलाओं को शूद्र श्रेणी में माना जाने लगा और धीरे-धीरे उनके अधिकार खत्म हो गए। विधवा विवाह प्रथा समाप्त हुई, महिला विवाह के बाद पूर्ण रूप से पति पर आश्रित होने लगी और साथ ही सती प्रथा भी प्रारंभ हुई।

1958 में राधा कुमार मुखर्जी के अनुसार महिलाओं को ऋग्वेद में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पुरुषों के समान था। यह माना गया है कि उस समय के पाठों में कानून, प्रथा और परंपराएँ भी शामिल थीं। इसलिए मंत्रों की रचनाओं में ऋषि पत्नियों ने योगदान दिया और धार्मिक अनुष्ठानों में दोनों का आगमन अनिवार्य था।

उमा चक्रवर्ती 2004 में कहती हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में महिलाओं का बहुत कम अधिकार रहा। धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं में उनकी अधीनस्थ प्रस्थिति का विवरण दिया गया है। हालांकि जाति संबंधी वंश परंपरा में पितृसत्ता का महत्त्वपूर्ण कारक ब्राह्मणवाद था। उन्होंने महिलाओं की शुद्धता जो कि जातियों की शुद्धता के लिए प्रमुख मानी जाती है, पितृसत्ता के लिए केन्द्रीय स्थान सजातीय विवाह जाति प्रथा की सुरक्षा करता है। हालांकि उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष के संगम के परिणामस्वरूप कड़ी सजाएँ निर्धारित थीं। महिलाओं की इस प्रक्रिया में सहमति कई प्रकार से ली जाती थी। उनके विचारों, परिवार के पुरुष मुखिया, वर्ग विशेषाधिकारों और आवश्यक ताकत का इस्तेमाल किया जाता था। जबकि विभिन्न विन्यास वर्तमान स्थिति में देर से पहुँचा, जैसे कि ब्राह्मणवाद, पैतृकवाद, लिंगवाद, विशिष्ट और जातिवाद। प्रागैतिहासिक काल में उत्पादन में महिलाओं की विशेष भूमिका आंकी गई, जैसे कि भारत में भीमबेट्का की गुफा चित्रों से पता चलता है।

1983 में न्यूमायर के अनुसार, समाजों में महिलाएँ, पुरुष या अन्य महिला के अधिकारों के सामने अधीनस्थ नहीं थीं। इन समाजों को मैट्रिस्टिक कहा गया। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में भी श्रमिक वर्ग और शासक वर्ग को दर्शाया गया है। उस समय भी यह साक्ष्य प्रमाण देते हैं कि महिलाओं का आदर भाव बना हुआ था। ऋग्वेद में आर्यों और गैर-आर्यों के मध्य संघर्ष को व्यक्त किया गया है कि कैसे अधीनस्थ वर्गों की महिलाओं को आर्यों द्वारा दासी बनाया गया। आर्यों की स्त्रियाँ दासों और पशुओं पर शासन करती थीं, जबकि विजय वर्ग द्वारा दासी बनाई स्त्रियाँ पुरुषों के नियंत्रण में थीं। कृषि में दासियाँ घर के साथ खेतों में कार्य करने लगीं।

कृषि संबंधी (800 बी.सी. से 600 बी.सी.) के मध्य जाति और वर्ग भेद उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों ने पितृसत्ता स्थापित की। राज्य द्वारा भूमि के निजी स्वामित्व हासिल किए गए इससे पितृवादी और पैतृक उत्तराधिकारी प्रथा का उद्भव हुआ। जाति विशुद्धता और केंद्रित हुई। उद्वरण में आपस्तम्ब सूत्र के बाद कहा गया कि पत्नियों को पुरुष के नियंत्रण में रहना होगा। इसमें महिलाओं के स्वभाव का दुराचारी रूप व्यक्त किया गया।

2004 में देसाई और कृष्णराज के अनुसार महिला उर्वरक, उदार और धन धान्य के साथ-साथ आक्रामक और विध्वंसक मानी जाती है। यानी उसकी धारणा में दोहरी प्रमुखता होती है; जैसे कि लक्ष्मी, सरस्वती और प्रचंड दुर्गा, काली/महिलाओं में भी शक्ति और प्रकृति दोनों हैं, यानी उसका आक्रामक और सक्रामक दोनों रूप हैं।

मनु महिलाओं के बुनियादी स्वभाव और कामवासना के मध्य प्रत्यक्ष संबंध को व्यक्त करते हैं। मनु द्वारा धर्मशास्त्र में व्यक्त किया गया है कि अधीन महिलाओं को स्वतंत्र की अपेक्षा निर्भर रहने की अनुमति दी जाती थी। गीता में उन्हें वैश्य और शूद्र के समान दर्जा देकर घटिया वंशावली का माना है।

महिलाओं की कामुकता को स्त्री या पति धर्म के माध्यम से अधीनस्थ किया गया है। धर्म ग्रंथों रामायण और महाभारत में भी उन्हें बुरे आचरण वाली तथा कमजोर माना गया है। यह महिला की कामवासना को नियंत्रण करने का महत्त्वपूर्ण उपकरण बन गया था, उन पर हिंसा का प्रयोग होता और राजा जो बदनाम महिलाओं को सजा देने की शक्ति दी गई।

परंतु बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा ब्राह्मणवाद की अपेक्षा महिलाओं को स्वतंत्रता दी गई। पत्नी, माँ की गणिका और भिक्षुणी की भूमिका निभाती थी। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी की व्यवस्था की गई और जैन धर्म में भी महिलाओं को समाज में विभिन्न

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

तरीके से रहने का विकल्प दिया। कुछ महिलाएँ बुद्ध की प्रमुख शिष्याएँ बनीं, कुछ कनिष्ठ ननों की शिक्षिका।

चानना ने 2003 में विचार प्रस्तुत किया कि हिंदू महिलाओं की प्रस्थिति विभिन्न समय में भिन्न रही। ग्रंथों में जिक्र है कि महिलाओं की शिक्षा क्षेत्र में पहुँच थी और एक शिक्षित लड़की के जन्म की इच्छा रखी जाती थी। हालांकि इस विचार की वर्तमान काल में भी निरंतरता है। एक आदर्श हिंदू महिला का रूप गतिशील और अन्य रूपों के साथ प्रभुत्व रखता है।

औपनिवेश-पूर्व भारत में महिलाएँ

औपनिवेश-पूर्व भारत में महिलाओं की स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। लगातार आक्रमणों के कारण सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक ढाँचा अस्त-व्यस्त हो चुका था। पर्दा प्रथा मानदंड बनी। हालांकि दक्षिण में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, जैसे कि गंगा देवी और तिरुमालम्बा देवी जिनके द्वारा क्रमशः मधुर विजयम, पत्नी वीर कम्पा राया और वरदिम्बका परिणायम् काव्य लिखा गया। 15वीं शताब्दी में मलयालम् कार्यों चंद्रोन्तसवम्, शाकुंतलम और अन्य संस्कृत नाटक। 18वीं शताब्दी के कालीकट की मनोरमा आदि। पर्दा प्रथा ने महिलाओं की सृजनात्मकता और क्षमताओं के विकास पर रोक लगा दी। प्रो. मुजीब द्वारा मध्ययुगीन समय में युक्ति स्त्रियों की प्रस्थिति पर एक विवरण दिया गया है।

कुछ महिलाओं द्वारा प्रशासन क्षेत्र में योगदान दिया गया है जैसे कि रूद्राम्बा-ककरेया रानी, रजिया बेगम, चांद बीबी, ताराबाई, मंगलमल और अहिल्याबाई होल्कर। थापर के अनुसार, रजिया का शासक के रूप में कौशल असाधारण था, परंतु मुल्लाओं तथा अन्य के विरोध ने उसका अंत कर दिया। मुगल औरतों द्वारा भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जैसे-जहानआरा, रोशनआरा, जेबुनिस्सा, गुलबदन बेगम, नूरजहाँ, मुमताज महल आदि। इनके द्वारा साहित्य की रचना की गई।

महिलाओं की प्रस्थिति को भक्तिधारा ने सुखद बनाया। भक्ति आंदोलन के अनुसार भगवान की पूजा केवल ज्ञान से हो सकती है, इसलिए लोग भगवान के पास बिना लिंग भेद और जाति के निकट आए। संस्कृत ज्ञान की कमी के कारण महिलाएँ धार्मिक प्रथाओं और मनुष्यों के अनुभवों की भागीदारी से अलग होने लगीं। ऐसा काफी हद तक स्पष्ट होता है कि अलवर और नायनार महिलाओं के स्वतंत्र जीवन का समर्थन करते थे। प्राचीन शिक्षाओं से, पूर्वी भारत से, चैतन्य की प्राचीन शिक्षाओं से और उत्तर भारत में भक्ति कालीन संतों विशेषकर नानक और कबीर की शिक्षाओं से, इस काल की प्रसिद्ध महिलाएँ हैं-अन्दाल, मीराबाई, लल्ला, मुक्ताबाई, जनबाई और विष्णुप्रिया।

स्वतंत्रता-पूर्व भारत में महिलाएँ

19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन और 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी आंदोलन ने स्वतंत्रता पूर्व भारतीय महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन करने में विशेष भूमिका निभाई। देसाई और कृष्णराज ने 2004 में व्यक्त किया है कि सामाजिक आंदोलन बौद्धिक प्रक्रिया का मूल सिद्धांत था, उस दौरान समाज में विभिन्न सामाजिक बुराईयाँ थीं। समाज सुधारक महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहते थे, ताकि समाज में परिवर्तन आए। इनमें शामिल थे-राजा राममोहन राय एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम. जी. रानाडे, महात्मा फुले, सर सैय्यद अहमद खान, लोखितावादी और दुर्गाराम। कुछ पुनर्जागरण के समर्थक थे, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वमी विवेकानंद और ऐनी बिसेंट। 1887 में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य समाज में सुधार लाना, परिवार और घरेलू ढाँचे के अंदर महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाना था।

राष्ट्रीय आंदोलन मध्यमवर्गीय आंदोलन के रूप में शहरी केंद्रों पर शुरू हुआ। गाँधी द्वारा इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया गया। इस आंदोलन में ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों की महिलाओं ने भाग लिया। इससे शिक्षा, सामाजिक सुधार और महिलाओं के अधिकार कुछ प्रगतिशील महिलाओं की चिंता का विषय बने।

राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के चार साल बाद 10 महिलाएँ वार्षिक बैठक के लिए सदस्य के रूप में आईं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। महिलाओं द्वारा इस विभाजन के विरोध के संघर्ष में भागीदारी दिखाई गई और क्रांतिकारी संगठनों का भी समर्थन किया।

विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रीय महिला संगठनों की स्थापना हुई। जैसे कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय महिला संघ और भारतीय महिला परिषद विभिन्न। महिलाओं ने विशेष भूमिका निभाई, जैसे-रामाबाई रानाडे, पंडिता रामाबाई, भीकाजी कामा, शिरिन कर्सेट्जी आदि। अखिल भारतीय सम्मेलन जनवरी 1927 में हुआ। भारतीय महिला संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की शाखा के रूप में हुई। यह संघ यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की शाखा के रूप में हुई। यह संघ दक्षिण भारत में कार्यरत था। राजनीतिक सुधारों हेतु सरोजनी नायडू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 1919 में मॉन्टेगू भेजा। 1917 में भारतीय महिला संघ मार्गेट कोसिन द्वारा एनी बेसेंट और होम रुल मूवमेंट के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। परंपरावादी अंग्रेजों द्वारा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए 1919 में लगभग यह असफल रहा। बाद में इस मताधिकार को प्रांतीय विधान मंडलों के कार्यों में महिलाओं के विधान मंडलों में अनुमति दी गई। 1926 के चुनावों में महिलाओं ने भाग लिया, परंतु यह मताधिकार केवल करदाताओं तक सीमित रहा। कुछ कानूनों का अधिनियम भी किया गया, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856, बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम, 1929, लड़की का विवाह 14 वर्ष से पहले करने पर रोक और हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार पर रोक।

महात्मा गाँधी 1915 में भारत आए और समाज सुधार संगठनों में शामिल महिलाओं से मिले। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद स्व-शासन की माँग बढ़ी, तो अंग्रेजों द्वारा राल्ट एक्ट लगाया

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

गया, परंतु जलियांवाला बाग त्रासदी घटना से राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त करना पड़ा। 8 अगस्त, 1920 को असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस सत्र में स्वीकार किया गया। गाँधीजी ने स्वतंत्र राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय स्त्री संघ को गठित कर सदस्यों को जिला कांग्रेस समितियों में शामिल होने को कहा। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे के विरोध में 1000 महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया।

गाँधी के आह्वान पर भारत के सभी प्रांतों की महिलाएँ आगे आईं। 1922-28 के बीच विलम्बन के दौरान गाँधी ने पुनर्संरचना पर ध्यान केंद्रित किया। 1928 में सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, इसमें महिलाओं ने भागीदारी दिखाई।

गाँधी द्वारा सिविल अवज्ञा आंदोलन 1930 में अहमदाबाद से दांडी तक 240 मील की यात्रा के साथ शुरू किया गया। उनके द्वारा गाँवों की औरतों को संबोधित किया गया और उन्हें शराब और ताड़ी की दुकानों पर धरना देने, नमक का बहिष्कार करने, कताई करने और खादी पहनने के लिए प्रेरित किया गया। देश सेविका संघ की शाखा द्वारा मुंबई में महिलाओं के लिए अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया। इस आंदोलन में कताई हेतु चरखा लोकप्रिय बनाया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए महिलाओं द्वारा विदेशी कपड़ों की दुकानों और शराब की दुकानों पर धरने दिये गये, परंतु अंग्रेजी सरकार द्वारा इसे गैर-कानूनी घोषित करते हुए 1930 में लगभग दस महीनों में 17000 गिरफ्तारियाँ अकेले महिलाओं की गईं।

1931 में लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रस्थापित करने के लिए भारतीय कांग्रेस के कराची सत्र में प्रस्ताव पास किया गया। महिलाओं को मताधिकार दिया गया और राज्य विधान मंडलों में सीटें आरक्षित की गईं। 1936 के चुनाव में विधानमंडलों में भागीदारी दिखाई और मंत्री, उपाध्यक्ष के पद प्राप्त किए। इस प्रकार उन्होंने राजनीतिक विश्व में प्रवेश किया।

8 अगस्त, 1942 को कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पास किया। 'करो या मरो' का नारा गाँधीजी ने दिया। इस आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन् 1945 में सरकार के गठन में एक महिला ने भाग लिया और संविधान सभा की बैठक में 14 महिलाएँ सदस्य थीं। उन्हें राजनीतिक दलों द्वारा केंद्रीय और राज्य विधान मंडलों ने सदस्यता हेतु बढ़ावा दिया। बसु द्वारा 1976 में स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं के योगदान का विवरण दिया। इस प्रकार महिलाओं की स्थिति से सुधार संबंधी आंदोलन भारत में विभिन्न चरणों से गुजरा। राजा राममोहन राय ने 19वीं शताब्दी में सामाजिक बुराईयों में सुधार लाने का प्रयास किया और उनकी शिक्षा पर अधिक जोर दिया।

दूसरे चरण में महिलाओं ने राजनीति में प्रवेश किया, अब वह एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष बन गया। बसु के अनुसार, भारत में स्त्रीलिंग और राष्ट्रवाद एक-दूसरे से संबंधित थे क्योंकि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ने लगी। इसलिए स्वतंत्र भारत में इस मामले में उन्हें कम शामिल किया जाने लगा।

शिक्षा

चानना ने 1988 में मत दिया है कि धर्म प्रचारक, भारतीय समाज सुधारक विदेशी लोकोपकारक और अंग्रेजी सरकार ऐसे कारक थे, जो महिलाओं को शिक्षित करना चाहते थे। 1958 में वसी के अनुसार भी अंधविश्वास शिक्षा में बाधक बना रहा। विलियम एडम 1836 के अनुसार बंगाल में शिक्षा की स्थिति कमजोर रही। फॉरवीस ने 2004 में कहा कि इस दौरान महिलाएँ पूरी तरह से आश्रित थीं। हालांकि 1870 से पहले कुछ महिलाओं ने पढ़ना सीखा, परंतु इस उपलब्धि को छिपाए रखा। वसी के अनुसार बंबई में शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं थी। आधुनिक भारत के जनक राजा राममोहन राय ने महिलाओं को शिक्षा देने का प्रयास किया और अन्य बुराईयों का विरोध किया जैसे कि बहुविवाह, बाल विवाह।

1850 में धर्म प्रचारकों द्वारा सरकार की सहायता से स्कूल खोले गए। कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने भी इस कार्य में भागीदारी दर्शाई। लड़कियों की शिक्षा हेतु 1849 में स्कूल स्थापित किया गया, जो कि सफल रहा। इस संबंध में 1882-83 में भारतीय शिक्षा आयोग ने कुछ प्रस्ताव किए। इसमें शिक्षा के विरुद्ध पूर्वाग्रह का समाधान करने के तरीके पर आयोग द्वारा चर्चा की गई और महिला अध्यापकों के महत्त्व पर बल दिया गया।

1878 तक कुछ ही भारतीय लड़कियाँ थीं, जो कि विश्वविद्यालयों में पढ़ रही थीं। 1888 में एक भारतीय महिला चिकित्सा के अध्ययन हेतु विदेश गई और एक 1892 में आक्सफोर्ड गई। इस प्रकार धीरे-धीरे महिलाएँ उच्चतर हेतु विदेश जाने लगीं। 1921-1957 में रात्रि स्कूल खोलने का प्रयास किया गया। 1951 में महिला साक्षरता 9.3% थी। उच्च महिला शिक्षा वाले राज्य थे- केरल और दिल्ली। निम्न स्तर के राज्य थे-मणिपुर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और विन्धया प्रदेश।

बोध प्रश्न

प्रश्न 1. प्राचीन कालीन भारतीय समाज में महिला की स्थिति का उल्लेख करें?

उत्तर-प्राचीन कालीन भारतीय समाज में महिला की स्थिति अधीनस्थ नहीं थी क्योंकि प्राचीन कालीन भारतीय सामाज में महिलाएँ पुरुष जितनी स्वतंत्र थीं। उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि प्रारंभिक घर में, भूमि में। खाद्य पदार्थ एकत्रित करने वाली जातियों में भी महिलाओं के प्रति आदर भाव रखा जाता था। उस समय धार्मिक कार्यों और पारिवारिक जीवन में महिलाओं की विशेष भूमिका आंकी जाती थी। उनकी शिक्षा तक पूर्ण पहुँच थी, इसीलिए महिला विद्वानों द्वारा रचे गये मंत्रों को पाठों में भी शामिल किया गया। वैदिक काल में लड़के और लड़कियों को यक्षोपवीत समारोह द्वारा शिक्षित किया जाता था, ताकि वे बाद

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com